बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

17 मार्च, 2022

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 19

स्थायी समाधान

*106 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जंक्शन के सामने ऑटो पार्किंग हेतु निर्मित मल्टीलेवल पार्किंग भवन से ऑटो का परिचालन नहीं होकर जंक्शन गोलम्बर से लेकर जी.पी.ओ. गोलम्बर तक मुख्य सड़क पर ही ऑटो खड़ा किया जाता है जिससे दिन-रात जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त आरक्षी अथवा यातायात पुलिस मूकदर्शक बने रहते हैं और उनकी नाक के नीचे सारा खेल चलता रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जी.पी.ओ. गोलम्बर से पटना जंक्शन गोलम्बर तक कृत्रिम जाम के स्थायी समाधान का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

योगदान को प्रमुखता

*139 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, समाज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि 1917-18 ई. में महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं अन्य जगहों से महिला कार्यकर्ताओं ने आकर समाज कल्याण एवं महिला सशक्तीकरण के कार्य किया था;

(ख) क्या यह सही है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बिहार में ही महिला कार्यकर्ताओं को समाज कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए एक प्रयोग किया था;

(ग) क्या यह सही है कि इन महिला कार्यकर्ताओं संबंधित तथ्यों को प्रमुखता से उकेरने का कार्य अबतक नहीं किया गया है ताकि आज की पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिले;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़हरवा लखनसेन, भितिहरवा, मधुबन सहित उन सभी जगहों पर 'मेटल साईनेज' लगाकर इन महिला कार्यकर्ताओं के योगदान को प्रमुखता से उकेरना चाहती है ताकि आज की पीढ़ी उनसे संदेश प्राप्त कर सके ?

ठोस कदम उठाने पर विचार

*225 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा)**ः

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 20 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां बिना मंजूरी के व्यवसायिक लाभ के लिए भूजल दोहन कर रही हैं, जबकि इनमें से केवल अबतक 333 आवेदकों ने ही अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के नदियों के किनारे सैकड़ों जल व्यवसाय करने वाली यूनिटों द्वारा पंजीयन नहीं कराने के कारण नदी के किनारे का भूजल स्तर गिर रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि सूबे के 11 जिलों का भूजल स्तर अप्रत्याशित तौर पर गिरा है जिसमें पटना, नालंदा एवं भागलपुर जिला है, अगर ऐसे ही भूजल का दोहन होता रहा तो इन जिलों में जल संकट उत्पन्न हो जायेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल संकट से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई कबतक

***226 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश के द्वारा एक करोड़ आठ लाख रुपये की सरकारी राशि का गबन संबंधी मामले को रफा-दफा कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि भगवानपुर थाना के अंतर्गत संजात संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों के नाम से आवंटित छात्रवृत्ति की राशि निकाल कर गबन कर दिया गया है, जबकि उक्त महाविद्यालय पूर्णत: फर्जी है;

(ग) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय ने उक्त मामला की पुर्नजांच कराने का आदेश दिया है, लेकिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तेघड़ा के ऊपर अबतक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तेघड़ा के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, और कबतक ?

जांच कबतक

***227 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के घोषी थाना में 10.05.2019 को श्री संजय कुमार की मृत्यु कार दुर्घटना में होती है;

(ख) क्या यह सही है कि मृत्यु की प्राथमिकी दिनांक:- 13.05.2019 को घोषी थाना में दर्ज की गई;

(ग) क्या यह सही है कि मृत्यु लाल रंग की हुंडई आई- 10 कार के चलने से हुई है;

(घ) क्या यह सही है कि दुर्घटना के तीन साल बाद भी चार्जशीट थाना द्वारा तैयार नहीं की गई है और हुंडई आई- 10 कार की अभी तक यांत्रिक जांच कर यांत्रिक जांच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद द्वारा नहीं की गई है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक चार्जशीट एवं यांत्रिक जांच प्रतिवेदन दाखिल करना चाहती है एवं किस परिस्थिति में जांच अभी तक रुकी हुई है और क्या इसकी जांच संबंधित पदाधिकारी से कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मापदंड तैयार कबतक

***228 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश नीति 2016, स्टार्टअप नीति-2017 इत्यादि शुरू की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि विकसित तीन राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु को देश के संपूर्ण ऋण का 45 प्रतिशत, जबकि बिहार को 1.5 प्रतिशत ही हिस्सा मिल पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि आबादी में तीसरा और आर्थिक मामले में बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद बैंक ऋण का बड़ा हिस्सा दूसरे विकसित राज्यों को देता है एवं विदेशी पूंजी को भी बिहार में निवेश करने में वंचित रखता है;

(घ) क्या यह सही है कि बैंक ज्यादा ब्याज लाभ कमाने हेतु उद्योग लेन-देन की बजाय व्यक्तिगत लोन, वाहन लोन देने में अपनी दिलचस्पी रखता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि औद्योगिक ऋण हेतु बैंक के लिए मापदंड तैयार करने का विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई कबतक

***229 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि देश के सभी राज्यों में क्राइम कंट्रोल करने के लिए सभी प्रदेश के जिला व प्रखंड स्थापित थानों और ओ.पी.में सी.सी.टीवी लगाने का अनिवार्य

किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी जिलों के थानों और जिला के थानों और ओ.पी. में टी.ए.ए.एस.एल. (TAASL) कम्पनी द्वारा सी.सी. टीवी लगाने का काम दिया गया है तथा विभाग द्वारा कम्पनी को उपलब्ध कराई गई सूची में कम्पनी को कई थाना ओ.पी. स्थल पर उपलब्ध ही नहीं हैं;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में प्रतिदिन अपराध की घटना निरंतर बढ़ रही है वहीं गृह विभाग को स्वयं ये पता नहीं है कि राज्य में कितने थाने और ओ.पी. चल रहे हैं या है भी नहीं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंभीरता से इसकी जांच कर विभागीय दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

लिफ्ट संचालित कबतक

***230 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत गांधी मैदान थाना के नये भवन का निर्माण लगभग 10 वर्ष पहले हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि नये भवन के विभाग को हस्तारित होने के कुछ ही दिनों बाद से बेसमेंट में लगभग 2 फीट हमेशा जलजमाव रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त थाने में लगा लिफ्ट भी लगभग 10 वर्षों से खराब है जिसका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाने में जलजमाव तथा लिफ्ट को संचालित करने में आ रही परेशानियों को दूर करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई कबतक

***231 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना परसा बाजार थाना के तत्कालीन प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष अपने पति के साथ परसा बाजार थाना के अंतर्गत अवैध शराब कारोबारियों से मिलकर शराब की खुलेआम बिक्री करवा रही थी तथा सरकार के शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रही थी;

(ख) क्या यह सही है कि परसा बाजार थाना कांड संख्या 242/21, दिनांक 11.09.2021 को मद्य निषेध इकाई, बिहार, पटना की टीम एवं ALTF पटना के द्वारा परसा बाजार पटना थाना अंतर्गत छापेमारी में 22 लीटर देशी शराब एवं 5000 कि.ग्रा. जाबा विनष्ट किया गया था एवं बहुत सारी अंग्रेजी शराब पकड़ी गयी थी जो परसा बाजार थाना कांड 345/21, दिनांक 14.09.2021 में अंकित है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय उपनेता (NDA) के द्वारा पत्रांक- 258, दिनांक 01.09.2021 में लिखित शिकायत की गई थी कि प्रशिक्षु DSP, परसा बाजार के द्वारा शराब की अवैध बिक्री करायी जा रही थी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो संलिप्त तत्कालीन प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष, परसा बाजार के विरुद्ध सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गयी, और नहीं तो क्यों ?

पुलिस पिकेट की स्थापना

***232 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत पहाड़ी में अवस्थित ऋषिकुंड अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है;

(ख) क्या यह सही है कि इन पहाडि़यों में पुलिस रपट के मुताबिक सक्रिय उग्रवादी गतिविधियां हैं;

(ग) क्या यह सही है कि शाम ढलते ही पर्यटक असहज महसूस करते हैं एवं भयाक्रांत होकर पर्यटन स्थल छोड़ता चाहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में अंकित पर्यटक स्थल को सुरक्षित रखने एवं उग्रवादी गतिविधियां रोकने हेतु यथाशीघ्र पुलिस पिकेट की स्थापना करना चाहती है ?

ए.सी.पी. का लाभ

*233 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत करीब 400 से 500 चौकीदार एवं दफादार कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 01.01.1990 को चौकीदार एवं दफादार को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि 01.01.1990 से अबतक किसी भी चौकीदार एवं दफादार को ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि इसमें से कई चौकीदार एवं दफादार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके और कितने की मृत्यु भी हो गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चौकीदार एवं दफादार को ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नहर का जीर्णोद्धार

*234 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सकरी नदी गिरीडीह शहर से निकल कर नवादा जिला, सिंकदरा सड़क से उत्तर पौरा ग्राम में सकरी नदी पर बैराज बनाकर इस संरचना को बनाया गया जो बरसात के मौसम में काफी पानी अपने साथ लाती है;

(ख) क्या यह सही है कि सन् 1908 ई. में बने सर्वे मैप के आधार पर इस नदी का निर्माण सन् 1952 ई. में हुआ था और इस बैराज से अपनी-अपनी सुविधानुसार छोटे-छोटे नहर निकालकर शेखपुरा एवं नालंदा जिला होते हुए आगे की ओर प्रवेश कराया गया जो सिंचाई का उत्तम साधन था;

(ग) क्या यह सही है कि पौरा ग्राम इन सकरी नदी पर बने बैराज से छोटी-छोटी निकाली गई नहर में वाजितपुर, खुदिया, पनहेसा, वरूआवो फॉल, सुगिया फॉल, कमरापुल, रमजानपुर, मुर्गीयाचक, बहादुरपुर, इत्यादि जगहों को अवरुद्ध करने से नीचे पानी आना कठिन हो गया है जिससे किसानों को काफी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सकरी नदी पर बने बैराज से निकाली गई नहरों का जीर्णोद्धार करने का जनहित में विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्य का शुभारंभ

*235 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में औषधीय पादपों में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है और इसके लिए राज्य मुख्यालय में विशेष कक्ष भी स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संग्रहालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर उपलब्ध जमीन में औषधीय पादप लगाए जा सकते हैं और उन्हें प्रदर्शित कर आम जन को उनके प्रति आकर्षित भी किया जा सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के विभिन्न संग्रहालयों एवं कामेश्वर नगर, दरभंगा में अवस्थित दोनों विश्वविद्यालय परिसरों से इस कार्य का शुभारंभ करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बंद पडे नलकूप चालू कबतक

*236 **श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कुल सरकारी नलकूपों की संख्या 10240 है, जिसमें 5074 नलकूप बंद पड़े हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 4838 सरकारी नलकूप विद्युत एवं यांत्रिक दोष के चलते 10 वर्षों से बंद है, जिससे सिंचाई का कार्य ठप है;

(ग) क्या यह सही है कि 4 फरवरी 2019 को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 1738 सरकारी नलकूपों की मरम्मती के लिए ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई गई थी उक्त सभी नलकूप को अबतक चालू नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े सभी नलकूपों को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नहर की उडाही

***237 श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बोखड़ा प्रखंड के कुरहर पंचायत में करेह नदी कुरहर से सतेर-फेरा जान-भानि चकैती पंचायत तक नहर की गहराई काफी कम हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर की गहराई कम होने के कारण जल संचय की क्षमता घट गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नहर की उड़ाही नहीं होने से सिंचाई प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त नहर की उड़ाही कराकर सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

परिपक्वता राशि का भुगतान

***238 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नागरिकों द्वारा अपने परिवार के भविष्य के लिए सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में जमा की गई राशि की परिपक्वता तिथि पूर्ण हो जाने के बावजूद भी इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना के दीदारगंज केंद्र (6080) के सहारा-ई-लाइन योजनान्तर्गत श्रीमती ललिता देवी एवं ललिता कुमार झा (में. सं.- 7302570, 7300499, 7300500 से 7300503 तक एवं 7303930, 6803921 से 6803924 तक) द्वारा किए गए छः एवं पांच निवेशों की परिपक्वता तिथि पूर्ण होने एवं दरभंगा जिलान्तर्गत बिठौली एफ.सी.- 2024 (7406) केंद्र में इन्द्र मोहन झा (मे. सं.- 665012919458) द्वारा निवेश की गई राशि की परिपक्वता तिथि दो वर्ष पूर्ण हो जाने के बावजूद इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य उपर्युक्त जमाकर्त्ताओं को परिपक्वता राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

जलकरों एवं जलाशयों का हस्तांतरण

***239 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के ज्ञापांक संख्या-म. / बैठक 3/97-445, दिनांक 04.03.2002 के द्वारा राज्य के जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा गया कि जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन जलकरों / जलाशयों को पशु एवं मत्स्य विभाग में हस्तांतरित किया जाए;

(ख) क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग का नियंत्रण जलकरों / जलाशयों पर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी जलकरों का हस्तांतरण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में करना चाहती है, अगर हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जल निकासी हेतु व्यवस्था

***240 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत गढ़पुरा के कोरैया, गढ़पुरा, मालीपुर, एकम्बा, दुनही, कुम्हारसो इत्यादि पंचायतों में लगभग 5000 एकड़ जमीन में जल-जमाव के कारण कृषि कार्य हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष बाधित रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि गढ़पुरा प्रखंड के अधिकांश चौर का जल निकास प्राकृतिक नाला से होते हुए कांवर झील में हो जाता था लेकिन अभी यह निकासी मार्ग बाधित है और जल निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिससे कि किसान रबी फसल की खेती भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जल निकासी हेतु विस्तृत सर्वेक्षण एवं तकनीकी संभाव्यता पूरा कर जल निकासी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्लूईस गेट का निर्माण

***241 श्री संजय सिंह (मनोनीत):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर एवं नारायणपुर प्रखंड के नरकटिया के नन्हकार गनौली मौजमा तक मरगंग धार में गंगा का पानी रुक जाने से हजारों एकड़ भूमि में फसल बर्बाद हो जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि नरकटिया के पास पूर्व में स्लूईस गेट बनाने का कार्य शुरू किया गया था, परंतु संवेदक द्वारा आधा-अधूरा कार्य करके छोड़ दिया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित मरगंग धार पर स्लूईस गेट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?